रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022022-233617
CG-DL-E-18022022-233617

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 18, 2022/माघ 29, 1943
No. 134] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 18, 2022/MAGHA 29, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 137(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में, —

(क) नियम 16 के उपनियम (2) में, ‘‘और इस प्रकार सीमांकित क्षेत्र को वन भूमि, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन न आने वाली भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा", शब्दों के स्थान पर और ‘‘का प्रयोग करके नीलामी के माध्यम से समेकित अनुज्ञप्ति का अनुदत्त किया जाना प्रस्तावित है” के पहले, ‘‘या वैश्विक अवस्थानन प्रणाली" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) नियम 17 में, उपनियम (1) में,—

(i) खंड (ख) में, उपखंड (i) में, "जिसे वनभूमि, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन भूमि और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन न आने वाली भूमि के रूप में विभाजित किया जाएगा" के स्थान पर और "का प्रयोग करके चिन्ह्ांकित और सीमांकित क्षेत्र की" के पहले ", या वैश्विक अवस्थानन प्रणाली" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —

"(ii) कुल स्थानन और भिन्नक वैश्विक अवस्थानन प्रणाली, या वैश्विक स्थानन प्रणाली का प्रयोग करके पहचान किए गए और सीमांकित क्षेत्र के ब्यौरे;"।

[फा. सं. एम.VI-1/2/2022-खान VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- खान (नीलामी) नियम, 2015 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 406 (अ) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से संख्यांक सा.का.नि. 857 (अ) तारीख 14 दिसंबर, 2021 में संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2022

G.S.R. 137(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral (Auction) Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral (Auction) Rules, 2015,—

(a) in rule 16, in sub-rule (2), for the words "and the area so demarcated shall be classified into forests land, land owned by the State Government, and land not owned by the State Government", the words ", or global positioning system" shall be substituted;

(b) in rule 17, in sub-rule (1),—

(i) in clause (b), in sub-clause (i), for the words "divided into forest land, land owned by the State Government, and land not owned by the State Government", the words ", or global positioning system" shall be substituted;

(ii) in clause (c), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(ii) details of the area identified, demarcated using total station and differential global positioning system, or global positioning system;".

[F. No. M.VI-1/2/2022-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note:- The Mineral (Auction) Rules, 2015 were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 406(E), dated the 20th May, 2015 and lastly amended *vide* number G.S.R. 857(E), dated the 14th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.18 22:34:57 +05'30'